61

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 40510 500RS.

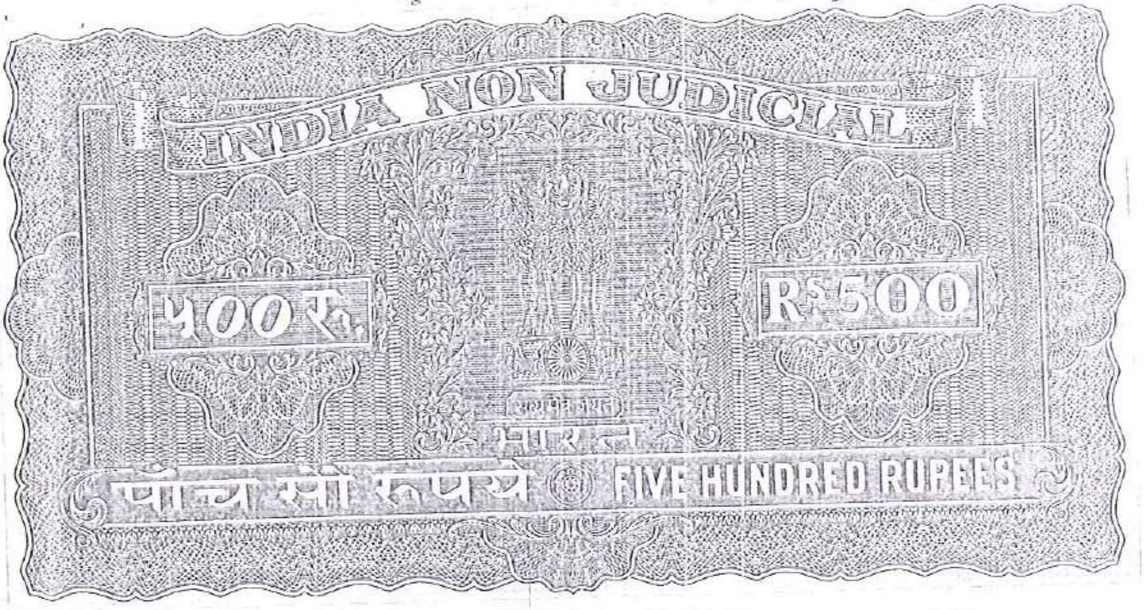

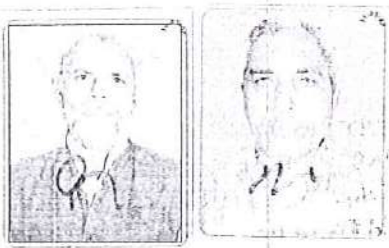

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम....मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.411 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :–कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन..नहीं
6. बोरिंग / कुंआ / अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 960000 / –.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 960000 / –रूपये
9. स्टाम्प देय : गाटा नंबर–405 क्षेत्रफल 0.407 हैक्टेयर स्टाम्प मुक्त है व गाटा नंबर–498 क्षेत्रफल 0.004 हैक्टेयर की मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है देय स्टाम्प 1000 / –रूपये
10. सरकारी दर भूमि 600000 / ––रूपये जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 1 क्रमांक 3 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम
विक्रेता की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण
केहरी सिहं पुत्र श्री नारायनसिंह निवासी ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा

केहरीसिंह

जनरल स्टाम्प कोषागार

क्रमांक
नाम
लो० सं०

मुरारी लाल शर्मा
स्टाम्प विक्रेता लो० सं० १३ राज
नगर कचहरी मथुरा

MATHURA

17 JAN 2007

हस्ताक्षर
रोकड़िया

TREASURY

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 727222

(2)

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन--49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

मैं कि केहरीसिंह पुत्र श्री नारायनसिंह निवासी ग्राम जैंत तहसील व जिला मथुरा मथुरा हूं।

जो कि कृषि भूमि भूमिधरी जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 के अनुसार चक नंबर--1311 व गाटा नंबर--398 रकवा 0.004 हैक्टेयर व गाटा नंबर--405 रकवा 0.407 हैक्टेयर कुल दो किता रकवा 0.411 हैक्टेयर सालाना लगानी 9.16 रूपया सालाना बाकै मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता है जिस पर विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता का नाम बहैसियत मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी बावत विक्रेता को हर तरह के अधिकारात

केहरीसिंह

शर्मा

नं0 13

मथुरा

12 JAN 2007

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 727221

(3)

मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जो जमानतों व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों से पूर्णतयाः मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है न उक्त भूमि किसी भी अधिग्रहण या सीलिंग आदि में आती है न इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही विचाराधीन है न विक्रेता ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदा वै किसी से भी तय कर रखा है न उक्त भूमि की विक्रेता की मिल्कियत की बावत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचराधीन है तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों ऋणों देनदारियों आदि से मुक्त एक मात्र विक्रेता के ही स्वामित्व की है जिसमें अलावा विक्रेता के अन्य किसी का भी कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो विक्रेतो के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता को रूपयों की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में

क्रमांक 98
तिथि 20/1/2007

बही संख्या 1 जिल्द संख्या ... पृष्ठ ... क्रमांक ...

उप निबन्धक कार्यालय सं० 13 सन् ...
मथुरा
विक्रय पत्र

960,000.00/	960,000.00	5,000.00	20	5,020.00
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग

TREASURY, MATHURA
1,000
12 JAN 200

श्री /श्रीमती केहरी सिह
पुत्र / पत्नी श्री नारायण सिह
पेशा कृषि
निवासी स्थायी जैत मथुरा
अस्थायी पता जैत मथुरा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 19/1/2007 समय 2:11PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
19/1/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती केहरी सिह
पुत्र/पत्नी श्री नारायण सिह
पेशा कृषि
निवासी जैत मथुरा

क्रेता
श्री/श्रीमती सनसिटी हाई टेक प्रो0 प्रा0 लि द्वारा कपिल देव उपाध्याय
पुत्र/पत्नी श्री छैल विहारी
पेशा व्यापार
निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री ठाकुर राधाचरन
पुत्र श्री समरजीत
पेशा कृषि
निवासी जैत मथुरा
व श्री मेघ सि ह
पुत्र श्री नत्थी सिह
पेशा कृषि
निवासी सुनरख मथुरा
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
19/1/2007

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 727220

प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि से वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी। जिसमें विक्रेता का सरासर लाभ है, अतः उक्त भूमि अपने सम्पूर्ण अंश भूमि को समस्त अधिकारों सहित जो उनकी बावत विक्रेता को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बिना विकेताओं ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ वएवज 960000/–नौ लाख साठ हाजर रूपये जिसके आधे 480000/–चार लाख अस्सी हजार रूपये होते हैं। बहक **सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा को बै कतई कर दी व बेच दी और गूल्य का रूपया खरीदार से कुल** 960000/–रूपये एच0डी0एफ0सी0 बैंक के चैक नबर–659594 दिनांक–19.1.2007 द्वारा प्राप्त कर व मूल्य के कुल रूपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार कर बेची गई भूमि से विक्रेता ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि का हो गया। जिसकी बावत वह कुल अधिकारात

विक्रेता

Registration No 803 Year : 2007 Book No. 1

0101 केहरी सिह

नारायण सिह

जैत मथुरा

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 727219

मालकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावें और उसका खुद जो चाहे सो करें, विक्रेता या उनके वारसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की बावत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आंशिक या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जायें और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता व उनके वारिसान व उनकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हस्ब जाब्ता बसूल करलें। खर्चा बैनामा क्रेता के जिम्मे है जो शासनादेश सं0 6087/8आ–1–2003–04 दिनांक–22.11.2003 व अधिसूचना सं0 क0नि0 5–2915/ग्यारह–2004–2004–600 (87)–2001 दि0 9.7.2004 संशोधित सं0 क0नि0 5–3497/11–2005–500(83)–2005 दिनांक–9.9.2005 से स्टाम्प मुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसमें मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है जो खसरा नंबर–405 रकवा 0.407 हैक्टेयर के सम्बन्ध में है व दूसरे गाटा नंबर–398 रकवा 0.004 हैक्टेयर की मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।विक्रेता अपना सम्पूर्ण अंश बेच रहा है।

क्रेता

Registration No. 803 Year : 2007 Book No.

0201 सनसिटी हाई टेक प्रो0 प्रा0 लि द्वारा कपिल देव उपाध्याय
छैल विहारी
गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 727218

(6)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझाकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें। जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। ~~विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। और उसने भूमि बेचने की इजाजत भूमि व्यवस्था अधिकारी मथुरा से पत्र सं० 295/प्रा० जी/भू०व०अ०/2006 दिनांक 10.11.2006 द्वारा प्राप्त कर ली है विक्रित भूमि में पेड़ बोरिंग व फसल नहीं है~~ विक्रय पत्र क्रेता विक्रेता के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

नोट : सफा 6 की लाइन 2 में शब्द रहेंगे के बाद की पूरी इबारत व लाइन 3 व 4 पूरी व लाइन 5 में शब्द विकय पत्र से पहले की पूरी इबारत पेन से कटी है।

दिनांक–19.1.2007

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा

ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा

केहरीसिंह

गवाह ठाकुर राधाचरन S/o अमरसिंह गवाह ...

मेघसिंह

आज दिनांक 19/01/2007 को

वही सं 1 जिल्द सं 4099

पृष्ठ सं. 241 से 254 पर कमांक 803

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक

मथुरा

19/1/2007